



**NMDC DAV PVT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE**

**VILLAGE & POST- BHANSI, DISTRICT - DANTEWADA, CHHATTISGARH 494551**



## **PROSPECTUS**

**For  
ADMISSION IN FULL TIME CERTIFICATE COURSES**

**Under  
NATIONAL COUNCIL OF VOCATIONAL TRAINING (NCVT)**

**In  
NMDC DAV INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE**



**Village & Post: Bhansi, District- Dantewada, Chhattisgarh, 494551**

**Tel :7587017486**

**Website: [http: //www.nmcdavitc.in](http://www.nmcdavitc.in)**

**E-mail: [nmcdavitc@gmail.com](mailto:nmcdavitc@gmail.com)**



## **EVENTS MEMORIES**



## Content /सामग्री

1.	INTRODUCTION / परिचय	3
2.	STAFF DETAILS OF INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के कर्मचारियों का विवरण	5
3.	TRADES/COURSES OFFERED, ADMISSION QUALIFICATION AND INTAKE CAPACITY व्यवसायों/ पाठ्यक्रम की जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और प्रवेश क्षमता	6
4.	ABOUT THE TRADE / COURSE व्यवसाय/पाठ्यक्रम के बारे में	7
5.	SEAT ALLOCATION AND RESERVATION सीट आवंटन एवं आरक्षण	9
6.	AGE LIMIT / आयु सीमा	9
7.	PHYSICAL FITNESS / शारीरिक क्षमता	9
8.	PROCEDURE OF ADMISSION / प्रवेश की प्रक्रिया	10
9.	CHECK LIST / जाँचसूची	10
10.	ADMISSION FEE, TUITION FEE & OTHER FEE प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क	11
11.	GENERAL RULES AND INFORMATION FOR STUDENTS छात्रों के लिए सामान्य नियम और जानकारी	11
12.	DISCIPLINE / अनुशासन	14
13.	GENERAL INFORMATION/सामान्य जानकारी	16

## ANNEXURES / प्रपत्र

1.	FORM OF MEDICAL CERTIFICATE (ANNEXURE-I) मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म (प्रपत्र- I)	18
2.	CERTIFICATE OF CHARACTER OF CANDIDATE (ANNEXURE-II) उम्मीदवार के चरित्र का प्रमाण पत्र (प्रपत्र - II)	19
3.	AFFIDAVIT REGARDING PROHIBITION OF RAGGING (ANNEXURE-III) रैगिंग के निषेध के संबंध में शपथ पत्र (प्रपत्र - III)	20
4.	UNDERTAKING (ANNEXURE-IV) शपथ पत्र (प्रपत्र - IV)	21
5.	ADMISSION FORM (ANNEXURE-V) प्रवेश फॉर्म (प्रपत्र - V)	22

## 1. INTRODUCTION /परिचय

NMDC DAV ITI BHANSI, DANTEWADA, in its endeavour to provide technical and skilled manpower suited to various needs of industry, is implementing Craftsmen Training Scheme to impart training in technical and industrial skills through Industrial Training Institute.

Currently we having **128** seats in **5** different trades affiliated with National Council of Vocational Training (NCVT). Our corporate partner for institutional Development includes the leaders in Indian industry is NMDC Ltd. BIOM BACHELI COMPLEX.

The Craftsmen Training Scheme was introduced by the Government of India in 1950 to ensure a steady flow of skilled workers in different trades for the domestic industry, to raise quantitatively and qualitatively the industrial production through systematic training, to reduce unemployment among the educated youth by providing them employable training.

एनएमडीसी डीएचआई आईटीआई भान्सी, दंतेवाड़ा उद्योग की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुकूल तकनीकी और कुशल श्रमशक्ति प्रदान करने के अपने प्रयास में, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से तकनीकी और औद्योगिक कौशल में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शिल्पकार प्रशिक्षण योजना चला रहा है।

इस संस्था में वर्तमान में **5** अलग-अलग व्यवसायों में **128** सीट्स हैं जो नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग से संबद्ध हैं। हमारे कॉर्पोरेट साझेदार में भारतीय उद्योग जगत के उच्चतम उद्योग एनएमडीसी बैलाडीला आयरन ओर माइन परियोजना, बचेली द्वारा संस्थागत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होता है।

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना **1950** में भारत सरकार द्वारा घरेलू उद्योग के लिए विभिन्न व्यवसायों में कुशल श्रमिकों के एक स्थिर प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए, व्यवस्थित प्रशिक्षण के माध्यम से मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने, शिक्षित युवाओं के बीच बेरोजगारी को कम करने के लिए शुरू की गई थी।

### Salient Features of the Craftsmen Training Scheme:

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना की मुख्य विशेषताएं:

- The period of training for various trades varies from one year to two years and the entry qualification is 10th class pass, depending on the requirements of admission in different trades.
- This institute required to conduct training courses as per the curriculum prescribed by National Council of Vocational Training (NCVT). The admission to the new courses is made in the month of June/July every year.
- The trainees, after completion of the training period are required to appear in the Final Trade Test conducted under the aegis of National Council for Vocational Training. The successful trainees are awarded National Trade Certificate (NTC) which has been recognized by Govt. of India for the purpose of recruitment to subordinate posts and services under the Central Govt./State Govt./PSUs/Private Sectors.
- Training in our institute is provided at nominal fee with library, sports and medical facilities etc.



- Syllabus of various trades is periodically revised to keep pace in tune with changes in technology. Seats are reserved for candidates as per norms.
- विभिन्न व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष से दो वर्ष तक होती है और विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश 10 वीं कक्षा के प्राप्तांक के आधार पर होती है।
- यह संस्था राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पर आधारित है। नए पाठ्यक्रमों में प्रवेश हर साल जून / जुलाई के महीने में किया जाता है।
- प्रशिक्षण अवधि के पूरा होने के बाद प्रशिक्षुओं को राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के तत्वावधान में आयोजित ट्रेड टेस्ट में शामिल होना पड़ता है। सफल प्रशिक्षुओं को राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र (एनटीसी) प्रदान किया जाता है जिसे सरकार द्वारा मान्यता दी गई है। यह प्रमाण पत्र भारत सरकार के अधीनस्थ पदों और सेवाओं के लिए केंद्र सरकार के अधीन भर्ती के उद्देश्य के लिए जरूरी हैं।
- हमारे संस्थान में प्रशिक्षण, पुस्तकालय, खेल और चिकित्सा सुविधाएं आदि मामूली शुल्क पर प्रदान किया जाता है।
- प्रौद्योगिकी में बदलाव के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए विभिन्न व्यवसायों के सिलेबस को समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
- सीट्स मानदंडों के अनुसार उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।

SN	Name	Designation	Department
1	KamleshSahu	Principal	
2	Ardhendu Sarkar	Group Instructor	
3	Vijay Kumar Mishra	Instructor	Electrician
4	Smt. GeetaMaravi	Instructor	Electrician
5	Amit Kumar	Instructor	Mechanic Motor Vehicle
6	Rishikesh Thakur	Instructor	Mechanic Motor Vehicle
7	Syama Kumar Udgata	Instructor	Fitter
8	Naresh Kumar Kannauje	Instructor	Fitter
9	Satish Kumar Shende	Instructor	Mechanic Diesel
10	Sagar Chand Sahu	Instructor	Mechanic Diesel
11	Pankaj Kumar Belchandan	Instructor	Welder
12	Shtruhan Lal	Instructor(Practical)	Welder
13	Satyam Kumar Singh	Instructor	Engineering Drawing
14	Sandeep Kumar Mishra	Instructor	Computer
15	Dehal Ram Nishad	Instructor	W.C.S.

## 2. Administration/Teaching Staff:

### Non - Teaching Staff:

1	Sanjay Kumar Singh	Store Keeper	Store
2	Smt. SilviVerma	Clerk	Office
3	Kamlesh Dubey	Driver	
4	Sanjay Kumar Dubey	Workshop Attendant	M.M.V.
5	Nohar Singh Verma	Store Attendant	Store

## 3. TRADES/COURSES OFFERED & INTAKE CAPACITY

### व्यवसाय / पाठ्यक्रम और प्रवेश क्षमता

For Academic session starting from August of every year, the institute and intake capacity, including trade names for which admission to be made are given in the following table. The details are also available on the websites: <http://www.nmdcdavitec.in> for Admission.

प्रत्येक वर्ष के अगस्त से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र के लिए, संस्थान में प्रवेश क्षमता तथा व्यवसाय निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं। प्रवेश के लिए विवरण वेबसाइट: <http://www.nmdcdavitec.in> पर भी उपलब्ध हैं।

### 3.1 TRADE WISE INTAKE CAPACITY/ व्यवसाय के अनुसार प्रवेश क्षमता

Courses, Institutes & intake capacity for admission to various trades in ITI's are given below.

आईटीआई में विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश के लिए क्षमता नीचे दी गई है-

TRADES	NO OF SEATS ALLOTTED
ELECTRICIAN	20
MECHANIC MOTOR VEHICLE	24
FITTER	20
MECHANIC DIESEL	24
WELDER	40
TOTAL	128

**Strength of Students:**      **1<sup>st</sup> Year:**      **128**  
   **2<sup>nd</sup> Year:**      **64**

.....  
**Total Strength of Students:**                      **192**

### 3.2 Eligibility for Admission/ प्रवेश के लिए पात्रता

Admission eligibility qualifications required for full time certificate courses (1 year/2 year) In NMDC DAV Industrial Training Institute under the National Council of Vocational Training (NCVT) are given in the following table.

पूर्णकालिक पात्रता पाठ्यक्रम (1 वर्ष / 2 वर्ष) के लिए आवश्यक प्रवेश पात्रता एनएमडीसी डीएवी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषदके तहत निम्नलिखित तालिका में दी गई है।

SN	Name of the Trade	Duration	Current Entry Qualification	Engg./ Non Engg.
1	ELECTRICIAN	2 Year	10th class passed (with Maths & Science)	Engg.
2	MECHANIC MOTOR VEHICLE	2 Year	10th class passed (with Maths & Science)	Engg.
3	FITTER	2 Year	10th class passed (with Maths & Science)	Engg.
4	MECHANIC DIESEL	1 Year	10th class passed (with Maths & Science)	Engg.
5	WELDER	1 Year	10th class passed	Engg.

After passing all the yearly examinations of training the trainees will be awarded a certificate NTC (National Trade Certificate) from NCVT, New Delhi.

प्रशिक्षण कीसभी वार्षिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के बाद प्रशिक्षुओं को एनसीवीटी, नई दिल्ली से एनटीसी (राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र) प्रदान किया जाएगा।

## 4. ABOUT THE TRADES / COURSES

### व्यवसायों/पाठ्यक्रम के बारे में

#### 4.1.1 YEARLY EXAM SYSTEM / वार्षिक परीक्षा प्रणाली

DGT is changing the examination pattern from the semester system to yearly system, w.e.f. August, 2018 admitted trainees. The courses have been designed to impart basic skills and knowledge in the trades so as to prepare trainee for employment as a semi-skilled worker or for self-employment.

As 70% of the training period is allotted to practical training and the rest of the subjects are Trade Theory, Workshop Calculation & Science, Engineering Drawing, and Employability Skills; So that our emphasis is on skill building.

प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा अगस्त 2018 से सेमेस्टरपरीक्षा प्रणाली को वार्षिक परीक्षा प्रणाली में बदल दिया गया हैं। पाठ्यक्रमों को व्यवसायों में बुनियादी कौशल और ज्ञान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि प्रशिक्षु को एक अर्ध-कुशल कार्यकर्ता के रूप में या स्वरोजगार के लिए तैयार किया जा सके।

चूंकि प्रशिक्षण अवधि का 70% प्रायोगिक प्रशिक्षण के लिए आवंटित किया जाता है और बाकी विषय ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं, ताकि हमारा जोर कौशल निर्माण पर हो।

#### 4.1.2 EXAMINATION PROCESS UNDER YEARLY SYSTEM AND ELIGIBILITY TO APPEAR IN EXAMINATION / वार्षिक परीक्षा की प्रक्रिया एवं परीक्षा में भाग लेने के लिए योग्यता

In yearly examination system, Only those candidates who have completed the year with minimum essential attendance would be permitted to appear in the examination. The candidate who has insufficient attendance may not be allowed to appear in the examination as per DGT norms. However, the candidate has to attain 80% cumulative attendance at the end of the course to appear in the last/final yearly examination.

वार्षिक परीक्षा प्रणाली में, केवल उन उम्मीदवारों को, जिन्होंने न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति के साथ वर्ष पूरा कर लिया है, को परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। जिस उम्मीदवार की उपस्थिति अपर्याप्त है, उसे प्रशिक्षण महानिदेशालय के मानदंडों के अनुसार परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालांकि, उम्मीदवार को वार्षिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पाठ्यक्रम के अंत में 80% उपस्थिति प्राप्त करनी होगी। 80% से कम उपस्थिति पर नियमानुसार परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है।

## 4.2 TWO YEARS ENGINEERING TRADES / द्विवर्षीय इंजीनियरिंग व्यवसाय

**ELECTRICIAN** - The course has been designed in order to give in-depth practical and theoretical knowledge of conventional and emerging areas related to electrical engineering with emphasis on electronics like Electrical Circuits, Basic Electronics, Wiring practice, Electrical machines, Measuring technique, Winding practice, Domestic Appliances & Lighting and Installation service & maintenance of electrical equipment. On successful completion, one can take employment with Govt. / Private sectors as well as self-employment.

**इलेक्ट्रीशियन**- इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से जुड़े इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वायरिंग प्रैक्टिस इलेक्ट्रिकल मशीन मापने की तकनीक वाइडिंग प्रैक्टिस पर जोर देने के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित पारंपरिक और उभरते क्षेत्रों का गहराई से प्रायोगिक और सैद्धांतिक ज्ञान देने के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। जैसे घरेलू उपकरणों और बिजली के उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव की जानकारी दी जाती है। परीक्षा में सफल होने पर कोई भी विद्यार्थी सरकारी या निजी क्षेत्रों में नौकरी या स्व-रोजगार कर सकता है।

**MECHANIC MOTOR VEHICLE**- The course broadly covers the complete, functioning, overhauling of Petrol & Diesel Engines of vehicles of all categories being fuelled by Petrol, Diesel & Gases The course has a good demand in the Automobile industry thereby giving an advantage for either employment or self-employment.

**मैकेनिक मोटर वाहन** -यह कोर्स मोटे तौर पर पेट्रोल, डीजल और गैस द्वारा चलित सभी श्रेणियों के वाहनों के पेट्रोल और डीजल इंजनों के पूर्ण, कामकाज,ओवरहॉलिंग को कवर करता है। ऑटोमोबाइल उद्योग में इस कोर्स की अच्छी मांग है, जो या तो रोजगार का लाभ दे रहा है या स्व रोजगार के साधन उपलब्ध करा रहा है।

**FITTER** - Fitter is a person who uses machine tools to make or modify parts, primarily metal parts, and a process known as machining. This is accomplished by using machine tools to cut away excess material such as a woodcarver cut away excess wood to produce his work. The demand of fittings of various nature, Plumbing, Welding, Black smithy, Knowledge on various Lathes, drilling Machines, Sheet Metal Works etc. The fitter Workshops are equipped with modern and sophisticated Machineries, Equipment & Tools. The precision works are mainly handled by fitters in the Industries.

**फिटर**-फिटर जो भागों, मुख्य रूप से धातु भागों और मशीनिंग के रूप में जानी जाने वाली प्रक्रिया को बनाने या संशोधित करने के लिए मशीन टूल्स का उपयोग करता है। यह मशीन टूल्स का उपयोग करके अतिरिक्त सामग्री को काटने के लिए पूरा किया जाता है जैसे कि एक वुडकार्वर अपने काम का उत्पादन करने के लिए अतिरिक्त लकड़ी काट देता है। विभिन्न प्रकृति के फिटिंग की मांग



नल फिटिंग, वेल्डिंग, ब्लैक स्मिथी, विभिन्न लेथ्स पर ज्ञान, ड्रिलिंग मशीन, शीट मेटल वर्क्स आदि की जानकारी दी जाती हैं। फिटर कार्यशाला आधुनिक और परिष्कृत मशीनरी और उपकरणों से सुसज्जित हैं। सटीक कार्यों को मुख्य रूप से उद्योग में फिटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

### 4.3 ONE YEAR ENGINEERING TRADES /एक वर्षीय इंजीनियरिंग व्यवसाय

**MECHANIC DIESEL-** The course broadly covers the complete functioning, overhauling of DieselEngines of vehicles of all categories being fuelled by Diesel The course has a good demand in the Automobile industry thereby giving an advantage for either employment or self-employment.

**मैकेनिक डीजल-**इस कोर्स में डीजल ईंधन वाले सभी श्रेणियों के वाहनों के डीजल इंजनों की ओवरहॉलिंग के कामकाज की जानकारी शामिल है, इस कोर्स की ऑटोमोबाइल उद्योग में अच्छी मांग है, जिससे रोजगार या स्वरोजगार का लाभ मिलता है।

**WELDER** –This trade broadly covers Arc Welding, Gas Welding, Gas Cutting, Different types of similar and dissimilar ferrous & nonferrous metal welding, Pipe welding, MIG/MAG, TIG Welding, Plasma arc cutting. There is a huge demand in the market for welders, both in India & abroad. Govt. Organization like NMDC, ONGC, NTPC, BHEL, SAIL, INDIAN RAILWAY etc., Private industries and ship building Industry has a good demand for welders.

**वेल्डर-**यह व्यवसाय मोटे तौर पर आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, गैस कटिंग, विभिन्न प्रकार के समान और असमान फैब्रिक और गैर-लोह धातु वेल्डिंग, पाइप वेल्डिंग, मिग / एमआईजी, टीआईजी वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क कटिंग को कवर करता है। भारत और विदेशों में वेल्डर्स की बाजार में भारी मांग है। सरकारी कंपनियां जैसे NMDC, ONGC, NTPC, BHEL, SAIL, INDIAN RAILWAY इत्यादि एवं निजी उद्योग और जहाज निर्माण उद्योग में वेल्डर्स की अच्छी मांग है। इस ट्रेड के प्रशिक्षु अपना खुद का रोजगार भी आरंभ कर सकते हैं।

### 5. SEAT ALLOCATION /सीट आबंटन

Selections will be made on the merit basis of marks obtained in class 10th.  
चयन 10 वीं कक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर किए जाएंगे।

### 6. AGE LIMIT / आयु सीमा

The minimum age limit is 14 years for all the candidates on the date of admission. No Upper age limit is prescribed for the candidates seeking admission in Private or Government ITIs.

प्रवेश की निर्धारित तिथि के अनुसार सभी उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 14 वर्ष है। आईटीआई में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा निर्धारित नहीं है।

### 7. PHYSICAL FITNESS / शारीरिक क्षमता

All the candidates shall be required to submit a Medical Fitness Certificate from a Registered Medical Practitioner as per Annexure- I at the time of admission.

प्रवेश के समय सभी उम्मीदवारों को पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर से मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

## 8. ADMISSION PROCEDURE / प्रवेश प्रक्रिया

1. The candidates can register for admission in our institute.
  2. For registering the candidate would have to take admission form and fill the correct details.
  3. After the successful registration, candidate will receive a receipt of their Application No.
  4. The candidate should be extra careful while filling the following details as these details would be further used for calculating his rank and further allotment of seats. If any erroneous/incorrect information is found, it could lead to cancellation of seat allotted to the candidate and other necessary actions may be taken against him as deemed fit by the ITI.
  5. Short listing will be done on the basis of class 10th percentage.
  6. Short listed candidates will be called for counselling for admission between a decided time period.
- 
1. उम्मीदवार हमारे संस्थान में प्रवेश के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।
  2. पंजीकरण के लिए उम्मीदवार को प्रवेश फॉर्म लेना होगा और फॉर्म में सही विवरण भरना होगा।
  3. सफल पंजीकरण के बाद, उम्मीदवार अपने आवेदन संख्या की एक रसीद प्राप्त करेंगे।
  4. उम्मीदवार को निम्नलिखित विवरण भरते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि इन विवरणों का उपयोग उसकी रैंक की गणना और सीटों के आवंटन के लिए उपयोग किया जाएगा। यदि कोई गलत जानकारी पाई जाती है, तो यह उम्मीदवार को आवंटित सीट को रद्द करने का कारण बन सकती है और आईटीआई द्वारा अन्य आवश्यक कार्रवाई भी की जा सकती है।
  5. 10 वीं कक्षा के प्राप्तांक के आधार पर उम्मीदवारों के चयन हेतु छटनी की जाएगी।
  6. एक निश्चित समय अवधि के बीच प्रवेश के लिए सूचीबद्ध उम्मीदवारों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा।

## 9. CHECK LIST / जांच सूची

**THE CANDIDATE MUST ENSURE THE FOLLOWING WHILE FILLING-UP THE APPLICATION FORM:-**

- (1) The Registration form should be filled-up carefully in an ENGLISH / HINDI language only.
- (2) The single registration form is to be filled to apply in different trades.
- (3) The Registration form should be filled-up carefully.
- (4) Complete postal address along with a PIN code number, Aadhar Number and mobile number, must be given.
- (5) Name of candidate, father's name, Mother's Name and date of birth must be written as given in the High School Certificate (10th class certificate) of the Board or the University.
- (6) "District" in the Registration form must be filled by the candidate.

**आवेदक को आवेदन करने से पहले पता होना चाहिए कि :**

- (1) पंजीकरण फॉर्म केवल अंग्रेजी / हिंदी भाषा में सावधानी पूर्वक भरा जाना चाहिए।

- (2) विभिन्न व्यवसायोंमें आवेदन करने के लिए एकल पंजीकरण फॉर्म भरना है।
- (3) पंजीकरण फॉर्म को ध्यान से भरा जाना चाहिए।
- (4) पिन कोड नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर के साथ पूरा डाक पता देना होगा।
- (5) बोर्ड या विश्वविद्यालय के हाई स्कूल सर्टिफिकेट (१० वीं कक्षा के प्रमाणपत्र) के अनुसार प्रवेश फॉर्म में उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि भरा जाना चाहिए।
- (6) उम्मीदवार जिस जिले का निवासी है, उस जिले का नाम फॉर्म में भरना अनिवार्य है।

## 10. ADMISSION FEE, TUITION FEE& OTHER FEE / प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क

Particulars	NMDC	Non-NMDC
Cautious Money	1000	1000
Tuition Fee	1200 (Per Year)	2400 (Per Year)
Pupil Fund	100 (One Time)	100 (One Time)
Registration Fee	10 (One Time)	10 (One Time)
Admission Fee	20 (One Time)	20 (One Time)
R. D. Fund	150 (One Time)	150 (One Time)
AVS	10 (One Time)	10 (One Time)
APPS	10 (One Time)	10 (One Time)
<b>Total (in Rupee)</b>	<b>2500/-</b>	<b>3700/-</b>

## 11. GENERAL RULES & INFORMATION FOR STUDENTS

### छात्रों के लिए सामान्य नियम और जानकारी

#### I. WORKING DAYS AND HOURS/ कार्य दिवस एवं घंटे:

1. Working Days - TUESDAY to SUNDAY ( Except 2<sup>nd</sup> and 3<sup>rd</sup> Sunday)

2. Working hours - ITI trainees are required to observe 42 Hrs. of training per week, as under:

- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| (a) Practical instructions | 28 Hrs. Per week |
| (b) Theoretical            | 15 Hrs. Per week |

#### Out of which Engineering Trades

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Trade Theory                | 6 Hrs. Per week |
| 2. W/S calculation & Sc.       | 3 Hrs. Per week |
| 3. Engineering Drawing         | 3 Hrs. Per week |
| 4. Employability Skills        | 3 Hrs. Per week |
| 3. Extra curricular activities | 4 Hrs. Per week |

For further details please refer to the DGT CTS trade syllabus/guidelines.

1. कार्य दिवस - मंगलवार से रविवार (दुसरे एवं तीसरे रविवार को छोड़कर )

2. काम के घंटे: -आईटीआई प्रशिक्षुओं को 42 घंटे प्रशिक्षण करने की आवश्यकता होती है। प्रति सप्ताह प्रशिक्षण के तहत :

- (क) प्रायोगिक कार्य - 28घंटे प्रति सप्ताह  
(ख) सैद्धांतिक - 15घंटे प्रति सप्ताह

**जिसमें से इंजीनियरिंग ट्रेड्स**

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 1.ट्रेड थ्योरी             | - 6घंटे प्रति सप्ताह |
| 2.कर्मशाला गणना और विज्ञान | - 3घंटे प्रति सप्ताह |
| 3.इंजीनियरिंग ड्राइंग      | - 3घंटे प्रति सप्ताह |
| 4.रोजगार कौशल              | - 3घंटेप्रति सप्ताह  |

3. अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियाँ 4 घंटे प्रति सप्ताह

अधिक जानकारी के लिए कृपया DGT CTS Trade Syllabus / दिशानिर्देश देखें।

## II.UNIFORM/गणवेश:

Trainee shall get two sets of the prescribed uniform as approved by the Institute stitched within 7daysfrom the date of admission and shall wear the same, daily right from his residence till reachingback to the residence.

प्रशिक्षु को प्रवेश की तिथि से 7 दिनों के भीतर संस्थान द्वारा निर्धारित गणवेश दैनिक रूप से पहन कर आना अनिवार्य होगा।

## III.HOLIDAYS / LEAVE ADMISSIBLE TO TRAINEES/ प्रशिक्षुओं के लिए स्वीकार्य अवकाश:

Trainees are allowed the same Gazette holidays as decided by theCG Govt. If the trainee is a scholarship holder, he/she will be paid stipend at full rate during holidays.There will be no summer/winter holidays.

प्रशिक्षुओं को उसी राजपत्रित अवकाश की अनुमति है जैसा कि छ.ग. सरकार द्वारा तय किया गया है। यदि प्रशिक्षु छात्रवृत्ति धारक है, तो उसे छुट्टियों के दौरान पूर्ण दर पर छात्रवृत्ति दी जाएगी। गर्मियों / सर्दियों की छुट्टियां नहीं होंगी।

**Casual Leave:** In addition to usual holidays, trainees are admissible to avail casual leave @12 days per year. Casual leave can't be combined with another kind of leave. Scholarship holders will be allowed to draw scholarship at full rate during the period of Casual Leave (C.L).

**आकस्मिक अवकाश:** सामान्य छुट्टियों के अलावा, प्रशिक्षु प्रति वर्ष 12 दिन आकस्मिक अवकाश ले सकते हैं। आकस्मिक अवकाश को दूसरे प्रकार के अवकाश के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। छात्रवृत्ति धारकों को आकस्मिक अवकाश (C.L) की अवधि के दौरान पूरी दर से छात्रवृत्ति प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी।

**Medical Leave:** Medical Leave up to 21 days per year subject to production of Medical Certificate from a Medical Officer may be granted. Scholarship holders will be allowed to draw scholarship at full rate during the period of Medical Leave.



**मेडिकल अवकाश:** मेडिकल ऑफिसर से प्राप्त मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर प्रति वर्ष 21 दिन का मेडिकल अवकाश दिया जा सकता है। छात्रवृत्ति धारकों को मेडिकल अवकाश की अवधि के दौरान पूरी दर से छात्रवृत्ति प्राप्त होगी।

Leave for a further period of not exceeding 3 weeks for One Year course and 6 weeks for Two Year trades course can be granted in case of serious illness. This leave can be granted only once in the training period on recommendations of medical officer acceptable to competent authority.

एक वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए 3 सप्ताह से अधिक अवकाश नहीं दिया जायेगा और गंभीर बीमारी की स्थिति में दो साल के व्यवसायों के लिए 6 सप्ताह की छूट दी जा सकती है। चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्राप्त मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर यह अवकाश केवल प्रशिक्षण अवधि में दिया जा सकता है।

**Unauthorized Absence:** For unauthorized absence up to 10 consecutive days at a time, trainee will be issued a written warning for first occasion. If the offense is repeated, the trainee will be discharged from the rolls. Proportionate deduction of scholarship is made from such trainees who are scholarship holders.

**अनधिकृत अनुपस्थिति:** एक बार में लगातार 10 दिनों तक अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए, प्रशिक्षु को पहले अवसर के लिए एक लिखित चेतावनी जारी की जाएगी। यदि अपराध दोहराया जाता है, तो प्रशिक्षु को संस्था से निष्कासित कर दिया जाएगा। छात्रवृत्ति का आनुपातिक कटौती ऐसे प्रशिक्षुओं से किया जाता है जो छात्रवृत्ति धारक हैं।

**Absconders:** A trainee who absents himself/herself from a training institute for 10 consecutive days without permission and without informing the reasons of his absence is treated as an absconder and a trainee will be discharged from the institute.

**अनुपस्थिति:** प्रशिक्षु जो बिना किसी अनुमति के लगातार 10 दिनों तक प्रशिक्षण संस्थान से अनुपस्थित रहता है / बिना अपनी अनुपस्थिति के कारणों को बताए फरार माना जाता है, तो ऐसे प्रशिक्षु को संस्थान से निष्कासित कर दिया जायेगा।

**जुर्माना:** वे अभ्यर्थी जो पंजीकरण के बाद बीच में संस्थान छोड़ देते हैं, उन पर 3000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

**Fine:** Those candidates who after registration, if they leave the institute in between, they will be fined Rs. 3000.

#### **IV.SUSPENSIONS DISCHARGE/ निष्कासन :**

- (a) Trainees are liable to discharge on account of unsatisfactory progress in training.
- (b) For acts of indiscipline and misconduct.
- (c) If the attendance percentage falls below 60%.
- (d) The pending investigation of allegations in police station/court against him/her.

(अ) प्रशिक्षुओं के द्वारा प्रशिक्षण में असंतोषजनक प्रगति पाए जाने पर निष्कासित किया जा सकता है।

(ब) प्रशिक्षुओं के द्वारा अनुशासनहीनता के कृत्यों के लिए।

(स) यदि उपस्थिति प्रतिशत 60% से नीचे आता है।

(द) पुलिस थाने/न्यायालय में उसके खिलाफ आरोप होने की स्थिति में।

(इ) संस्था के कर्मचारियों / प्रशिक्षकों के साथ अनुशासनहीनता।

## **V.MINIMUM COMPULSORY ATTENDENCE FOR TRAINEE/ प्रशिक्षु के लिए न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति:**

- (a) In the yearly system course, Only those candidates who have completed the year with minimum essential attendance would be permitted to appear in the examination. The candidate who has insufficient attendance may not be allowed to appear in the ensuing examination and would be treated as per DGT norms. However, the candidate has to attain 80% cumulative attendance at the end of the course to appear in the last/final year examination.
- (क) वार्षिक प्रणाली पाठ्यक्रम में, केवल उन उम्मीदवारों को जो न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति के साथ वर्ष पूरा कर चुके हैं, उन्हें परीक्षामें उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। अपर्याप्त उपस्थिति वाले उम्मीदवार को आगामी परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और उसे डीजीटी मानदंडों के अनुसार माना जाएगा। हालांकि, उम्मीदवार को अंतिम / अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पाठ्यक्रम के अंत में 80% संचयी उपस्थिति प्राप्त करनी होगी।
- (b) Where a trainee absents himself/ herself for more than half the number of days, for whatsoever reasons, he/she would not be allowed to continue his/her training and would be discharged from the rolls.
- (ख) जहां एक प्रशिक्षु आधे दिनों से अधिक समय तक खुद को अनुपस्थित रखता है, चाहे किसी भी कारण से, उसे अपना प्रशिक्षण जारी रखने की अनुमति नहीं होगी और उसे संस्था से निष्कासित कर दिया जायेगा।

## **VI. SCHOLARSHIP TO TRAINEES/ प्रशिक्षुओं को छात्रवृत्ति:**

Schedule Tribe Students of Fitter and Welder trades are eligible for the Scholarship.

अनुसूचित जनजाति के फिटर और वेल्डर व्यवसाय के वे प्रशिक्षु छात्रवृत्ति के पात्र होंगे जिनके पालक की वार्षिक आय रुपये 60,000/- से कम होगा।

## **12. DISCIPLINE / अनुशासन**

All the students admitted to this institute will be under the complete disciplinary control of the Principal of the institute or any other officer(s) appointed by the competent authority for the purpose and must conduct themselves in accordance with the disciplinary rules of institution as framed and notified by the Principal.

इस संस्थान में भर्ती होने वाले सभी छात्र संस्थान के प्राचार्य या किसी अन्य अधिकारी के पूर्ण अनुशासनात्मक नियंत्रण के अधीन होंगे, जो इस उद्देश्य के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किए गए हैं और छात्रों को संस्था के अनुशासनात्मक नियमों के अनुसार आचरण करना होगा।

## **UNDER THE RULES, FOLLOWING ARE THE FORBIDDEN PRACTICES / अन्य नियम**

- a) RAGGING IN ANY FORM IS STRICTLY PROHIBITED. If any incident of ragging comes to the notice of the authority, the concerned trainee may be given the opportunity to explain and if his/her explanation is not

found satisfactory, the authority would expel him from the institution.

- b) Disfiguring or otherwise damaging institutional property;
- c) Smoking in the classroom, workshop and laboratory or during field training;
- d) Use of drugs or intoxicants except for those prescribed by a registered medical practitioner and under the knowledge of Principal of the institution;
- e) Any form of gambling;
- f) Rowdyism and rude behavior;
- g) Use of violence in any form;
- h) Offenses of cognizable nature;
- i) Castroism, communalism or practice of un-touch ability; or
- j) Any other conduct unbecoming of a trainee of the Institution. Any trainee indulging in any of the forbidden practices may attract any or more of the following disciplinary Measures-

- I. Cancellation of the scholarship/stipend (in part or in whole, temporarily or permanently) in accordance with the rules prescribed in this regard.
- II. Fine
- III. Suspension
- IV. Expulsion or Rustication

The candidates for admission have to give an undertaking that they will abide by the rules and regulations prescribed by the Principal/ Institute and any action taken in this regard on the trainee by the Principal shall be final.

- a) किसी भी प्रकार का रैगिंग पूरी तरह निषिद्ध है। यदि रैगिंग की कोई घटना प्राधिकरण के ध्यान में आती है, तो संबंधित प्रशिक्षु को समझाने का अवसर दिया जा सकता है और यदि उसका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उसे संस्था से निष्कासित कर दिया जायेगा।
- b) संस्थागत संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ।
- c) कक्षा, कार्यशाला और प्रयोगशाला में या क्षेत्र प्रशिक्षण के दौरान धूमपान करना;
- d) एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा निर्धारित और संस्था के प्राचार्य के ज्ञान के अलावा दवाओं या नशीले पदार्थों का उपयोग ।
- e) जुआँ खेलते हुए पाया जाना ।
- f) अशिष्ट व्यवहार ।
- g) किसी भी रूप में हिंसा करना ।
- h) किसी भी प्रकृति का अपराध ।
- i) जातिवाद, सांप्रदायिकता या छुआछूत करना ।
- j) संस्था के प्रशिक्षु के द्वारा अनैतिक आचरण करने या किसी भी निषिद्ध व्यवहार में लिप्त पाए जाने पर निम्नलिखित अनुशासनात्मक उपायों में से कोई भी अपनाया जा सकता है:
  - i) इस संबंध में निर्धारित नियमों के अनुसार छात्रवृत्ति (आंशिक या पूर्ण रूप से, अस्थायी या स्थायी रूप से रद्द करना।
  - ii) आर्थिक दंड
  - iii) निलंबन
  - iv) निष्कासन

प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को एक वचन देना होगा कि वे प्राचार्य / संस्थान द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन करेंगे।

### **13. GENERAL INFORMATION / सामान्य जानकारी**

#### **➤ Student Amenities / छात्र सुविधाएं**

Steel lockers, Water coolers and Canteen facilities are provided for the convenience of the trainees, wherever possible.

स्टील लॉकर, वाटर कूलर और कैंटीन की सुविधा जहाँ भी संभव हो, प्रशिक्षुओं की सुविधा के लिए प्रदान की जाती है।

#### **➤ Medical Facilities / चिकित्सा सुविधाएं**

First Aid facility is available in the institute.

संस्थान में प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है।

#### **➤ Library Facilities / पुस्तकालय सुविधाएं**

This institute has been provided with good library and the trainees are advised to make full use of them. Keeping in view intensive and extensive use, the library is being constantly enriched by the acquisition of latest books and journals keeping in pace with changing times.

इस संस्थान में अच्छा पुस्तकालय उपलब्ध कराया गया है और प्रशिक्षुओं को इनका पूरा उपयोग करने की सलाह दी जाती है। गहन और व्यापक उपयोग को ध्यान में रखते हुए, पुस्तकालय में नवीनतम पुस्तकों और पत्रिकाओं को उपलब्ध कराया जाता है।

#### **➤ Vocational Training/ औद्योगिक प्रशिक्षण**

Trainees are exposed to the world of work by arranging industrial and field visits. Presence of trainees during the visits is obligatory.

प्रशिक्षुओं को औद्योगिक प्रशिक्षण और औद्योगिक क्षेत्र के दौरे की व्यवस्था की जाती है जो उनके पाठ्यक्रम का भाग हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण एवं भ्रमण के दौरान प्रशिक्षुओं की उपस्थिति अनिवार्य है।

#### **➤ Examination / परीक्षा**

A trainee admitted in NCVT designated trade/course will have to undergo a regular training of the trade concerned as per the syllabus laid down by the Directorate General of Training (DGT), Government of India and shall be eligible to get the NCVT certificate on passing all annual examinations as per the affiliation status of the institute/trade.

एनसीवीटी द्वारा निर्दिष्ट ट्रेड / पाठ्यक्रम में भर्ती हुए प्रशिक्षु को भारत सरकार के प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार संबंधित ट्रेड के नियमित प्रशिक्षण से गुजरना होगा और संस्थान/व्यवसाय की संबद्धता के अनुसार सभी वार्षिक परीक्षाएं पास होने पर एनसीवीटी सर्टिफिकेट प्राप्त करने का पात्र होगा।



## **CERTIFICATION ON SUCCESSFUL COMPLETION OF TRAINING / प्रशिक्षण उपरांत प्रमाण पत्र**


- A trainee admitted in NCVT designated trade/course will have to undergo a training of the trade concerned as per the syllabus laid down by the Board of Technical Education, and shall be eligible to get the NCVT Certificate on passing all annual examinations.

एनसीवीटी निर्दिष्ट व्यवसाय/ पाठ्यक्रम में भर्ती हुए प्रशिक्षु को तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार संबंधित व्यवसाय का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, और एनसीवीटी प्रमाणपत्र हेतु वार्षिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना होगा।

- A trainee completing his course would receive the National Trade certificate (NTC) from NCVT.

अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण करने पर प्रशिक्षु को एनसीवीटीसे राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र (एनटीसी ) प्राप्त होगा।

NMDC DAV PVT ITI



Industrial Training Institute

Annexure – I

**FORM OF MEDICAL CERTIFICATE / मेडिकल सर्टिफिकेट का प्रारूप**

(To be signed by a Registered Medical Practitioner /पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये)

**(TO BE SUBMITTED AT THE TIME OF ADMISSION)**

I certify that I have carefully examined Sh. /Smt. /Ku. ....

Son/daughter/Wife of Shri..... Whose signature is given below. As a result of his/her examination I certify that nothing adverse has been found which may disqualify him/her from admission to a technical institution. I have to further add that:

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने श्री/श्रीमती /कु. .... पिता / माता ..... की ध्यान से जांच की है जिसका हस्ताक्षर नीचे दिया गया है। जाँचके परिणामस्वरूप मैं प्रमाणित करता हूँ कि उनकी जाँच में कुछ भी प्रतिकूल नहीं पाया गया है जो उन्हें एक तकनीकी संस्थान में प्रवेश हेतु अयोग्य ठहराता है।

1.His/her eyes appear to be.....

2.His/her heart & lungs are clear.....

3.His/her weight is.....

4.His/her height is.....

5.He/she does not wear glasses/rear glass with vision. ....

6.He/she has not had any disease, mental and bodily infirmity, which will make him/her, unfit in the near future for an active life and training.

Marks of identification.....

पहचान के निशान

Signature of the candidate.....

उम्मीदवार का हस्ताक्षर

.....

Name & Signature of the  
Medical Officer with seal& Registration No.  
चिकित्सा अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर,सील और  
पंजीकरण संख्या सहित

**Annexure – II CHARACTER CERTIFICATE/ चरित्र प्रमाण पत्र**

(To be submitted at the Time of Admission / प्रवेश के समय प्रस्तुत किया जाएगा)

Certified that I know Mr./Ms./.....Son/daughter of  
Shri.....Resident of  
.....From the last.....Years  
..... Months. He/she bears a good moral character and is about.....Nationality.

He/ She is not related to me.

Place:

Signature

Date:

\_\_\_\_\_  
Name (in Capital Letters)

\_\_\_\_\_  
Designation & Address with Stamp

**This certificate should be from any one of the following:**

1. Principal/Head Master of the recognized School/ College/ Institution where the candidate studied last;
2. Gazetted Officer of Central or State Government;
3. Members of Parliament or State Legislature belonging to the constituency where the candidate or his parent/ guardian is ordinarily resident;
4. Sub-Divisional Magistrates/ Officers;
5. Tehsildars or Naib/ Deputy Tehsildars authorized to exercise magisterial powers;  
Block Development Officer;

**यह प्रमाणपत्र निम्नलिखित में से किसी एक से होना चाहिए:**

1. मान्यताप्राप्त स्कूल / कॉलेज / संस्थान के प्रिंसिपल / हेड मास्टर जहां उम्मीदवार अंतिम बार अध्ययनरत था।
2. केंद्र या राज्य सरकार का राजपत्रित अधिकारी।
3. संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित हैं जहां उम्मीदवार या उनके माता-पिता / अभिभावक आमतौर पर निवासी हैं।
4. उप-विभागीय मजिस्ट्रेट / अधिकारी।
5. तहसीलदार या नायब / उप तहसीलदार / खंड विकास अधिकारी जो मजिस्ट्रियल शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं।

Annexure – III

**AFFIDAVIT ON PROHIBITION OF RAGGING**

(To be submitted at the time of admission)

I, \_\_\_\_\_ son / daughter of Sh. \_\_\_\_\_ resident of \_\_\_\_\_ hereby declare that I am aware of the Law regarding prohibition of ragging as well as the punishments, and that, if found guilty of The offense of ragging and/or abetting ragging, I am liable to be punished appropriately.

Place:

Signature of the Candidate

Date:

Name of the candidate:

I, \_\_\_\_\_ Father/Guardian of Mr. /Ms \_\_\_\_\_ Resident of \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ hereby declare that I am aware of the law regarding prohibition of ragging and I agree to abide by the punishment meted out to my ward in case the latter is found guilty of ragging.

Signature of Parent/Guardian

Name of Parent/Guardian



## Annexure – IV

### UNDERTAKING / शपथ पत्र

(To be submitted at the time of Admission / प्रवेश के समय प्रस्तुत किया जाना है)

1. I am liable to be struck off from the roll of Institution without notice in case I remain absent for 10 consecutive days without information / sanction of leave, unsatisfactory progress in the training, short of attendance below 50 %, failing in the aptitude test, Committing breach of discipline in the Institution.
2. I shall get two sets of the prescribed uniform stitched within seven days from the day of reporting at admitted institute positively and shall wear the same daily right from my residence & till reaching back to the residence.
3. I shall have no objection in attending Institution as per the existing or changed timing by the institute as per shift timing.
4. I shall maintain at least 80% attendance in each subject for making me eligible for appearing in the each examination.
5. I will not use mobile phones during the theory and practical period.
6. I hereby declare that I am aware of the law regarding prohibition of ragging as well as the punishments, and that, if found guilty of the offense of ragging and/or abetting ragging, I am liable to be punished as per guideline issued by the Honorable Supreme Court of India.
7. I will attend the Industrial visit / On-Job Training during the training period at various Industries at my own risk. In case of any accident, mis-happening or riots. I/We will not hold the Institute/Industry responsible for the same.
8. I will not damage /broken any type of Institute properties like Furniture's, Workshop Machineries, Tools & Equipment's

In case, I/We fail to abide myself, as stated above, the Principal/Head of the Institute is empowered to take disciplinary action against me as per rules.

1. मुझे संस्था से बिना किसी सूचना के निष्कासित किया जा सकता है, यदि मैं बिना सूचना / छुट्टी की मंजूरी के लगातार 10दिनों तक अनुपस्थित रहता हूँ, प्रशिक्षण में असंतोषजनक प्रगति, 50% से कम उपस्थिति, योग्यता परीक्षा में असफल होना , संस्थान में अनुशासन भंग करना।
2. मैं प्रवेशित संस्थान में रिपोर्टिंग के दिन से सात दिनों के भीतर निर्धारितगणवेशके दो सेट लूंगा और दैनिक रूप से अपने निवास से ही इसे पहनकर संस्था आऊंगा ।
3. मुझे संस्थान द्वारा शिफ्ट टाइमिंग के अनुसार मौजूदा या परिवर्तित समय के अनुसार संस्थान में भाग लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
4. मैं प्रत्येक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए मुझे पात्र बनाने के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम 80% उपस्थिति बनाए रखूंगा ।
5. मैं सिद्धांत और व्यावहारिक अवधि के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करूंगा।
6. मैं यह घोषित करता हूँ कि मैं रैगिंग के निषेध के साथ-साथ दंड के बारे में कानून से अवगत हूँ और यदि रैगिंग और / या रैगिंग के अपराध के दोषी पाए जाने पर, मैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश के अनुसार दंडित होने के लिए उत्तरदायी हूँ।
7. मैं अपने जोखिम पर विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षण अवधि के दौरान औद्योगिक यात्रा / ऑन-जॉब प्रशिक्षण में भाग लूंगा। किसी भी दुर्घटना, दुर्व्यवहार या दंगों के मामले में मैं संस्थान / उद्योग को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा ।
8. मैं किसी भी प्रकार की संस्था की संपत्ति जैसे फर्नीचर, वर्कशॉप मशीन, टूल्स एंड इक्विपमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा ।

उपरोक्त मामले में, मैं यदि नियम का पालन करने में विफल रहता हूँ, तो संस्थाप्रमुख को मेरे खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार होगा तथा यह कार्यवाही मुझे तथा मेरे पालक को पूर्णतः स्वीकार्य होगी ।

Yours faithfully/ आपका आभारी

.....  
(Full Signature of Parent/Guardian)  
(माता-पिता / अभिभावक का पूर्ण हस्ताक्षर)

Name /

नाम:.....

Relation / संबंध .....

Contact No / संपर्क नंबर: .....

.....  
(Full Signature / पूर्ण हस्ताक्षर)

Name:

Trade.....Admission No. ....



## ADMISSION FORM

NMDC Ltd. DAV INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, BHANSI

DISTT. - DANTEWADA (C.G.) PIN-494551



Photo

### Application Form

Application Form No:

#### For Office Use Only

10<sup>th</sup>Percentage:.....District:.....

Category:.....

NMDC / NON-NMDC

**(FILL IN CAPITAL LETTERS ONLY)**

1- Name of Applicant (in English): .....

.....

(In Hindi): .....

2- Father's Name: .....

3- DOB (In Figures): .....

(In Words): .....

4- Category/ Caste: .....

5- Present Address: .....

6- 6. Permanent Address: .....

7. Mobile/ Phone No. :

Self-

Parents-

7- Trade Applied (DM, Electrician, Fitter, MMV, Welder) (Write as per priority)

1-----

2-----

3-----

Signature of Applicant

8- Educational Qualification

SN	Examination Passed	Board/ University	Marks Obtained	Max. Marks	%
1	10th				
2					
3					
4					

9. Service Certificate for the Employee of the NMDC

This is to certify that Mr/Mrs.....Token no. ....  
Department..... BIOM Depot. No. .... Is an employee of NMDC Bacheli/ Kirandul.  
Whose son/ daughter..... Is applying for admission in NMDC DAV Industrial Training  
Institute, Bhansi, Dantewada (C.G.) for this session.

Signature of Employee

Seal & Signature of Authorized Officer  
(Personnel Department)

**Document Submitted By Candidate: - (For office use only)**

**Document (Photocopy)**

1. 10<sup>th</sup> Mark sheet
2. 12<sup>th</sup> Mark sheet
3. Higher Education If any
4. Domicile (NivasPraman)
5. Caste Certificate
6. Gap Certificate
7. Photo (2 No.)
8. UID (Aadhar Card)

**Checklist**


**Remark:-**

NMDC DAV PVT ITI

**Receipt**

Mr.....Form No..... submitted application for admission in NMDC  
DAV ITI Bhansi for the session..... And following document is received.

**Document (Photocopy)**

1. 10<sup>th</sup> Mark sheet
2. 12<sup>th</sup> Mark sheet
3. Higher Education If any
4. Domicile (NivasPraman)
5. Caste Certificate
6. Gap Certificate
7. Photo (2 No.s)
8. UID (Aadhar Card)

**Checklist**


**Date:**

**Sign.& Seal**



## SILVER JUBILEE 2025



छत्तीस

## एनएमडीसी डीएवी आईटीआर गान्धी में रजत जयंती समारोह

संगठन 'संवाद' द्वारा। एनएमडीसी डीएवी में गत दिनों संस्था के 25 वर्ष जयंती समारोह का आयोजन अवसर पर संस्था के विभिन्न तहसील कार्यक्रम में एनएमडीसी के कार्यात्मक महाप्रबंधक महेश खेड के तौर पर मौजूद रहे। वहीं गायक जोसे धीमस, सिविल ख के पी बंसोड, कार्यात्मक तिरुपति एवं अन्य अतिथि

की आली एवं दीप प्रज्ज्वलन का शुभारंभ हुआ। संस्था के शाह ने स्वागत भाषण में संस्था की यात्रा को सभी के साथ ने बताया की हमारे आईटीआई पर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया आई के साथ-साथ पूरे वास्तव का विषय है। उन्होंने संस्था का स्तर-प्रतिष्ठ केस प्लेसमेंट के द्वारा दिए जा रहे सहयोग से



आईटीआई के जीवन की बात कही और भाषण में भी एनएमडीसी प्रबंधन के सहयोग एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता व्यक्त की। इस दौरान छात्र-छात्राओं के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। छात्राओं

के द्वारा छत्तीसगढ़ी गीत गाया। जिसमें टूफो डोंग, एवं आदिवासी नृत्य शामिल श्री जोसे धीमस ने कर जल्द ही कोपा ट्रेड खुलने देविवाड़ा क्षेत्र को लड़कियों ज्ञात सोखने का अवसर उप साथ ही प्रबंधन के द्वारा के लिए हर संभव सहयोग मुला अतिथि महेश नाथ पर सभी को बधाई देते त के सांस्कृतिक कार्यक्रम क कहा की यहाँ के बच्चे त कुशल होने के साथ-साथ भी है। साथ ही उन्होंने एनएमडीसी का प्रथम भांर रहा है एनएमडीसी की न रखी गयी थी और एनएमडीसी की के माध्यम से यह रिश्ता और है। संस्थान ने राज्य और राष्ट्रीय स्थापन बना लिया है लेकिन अब स्तर पर अपनी पहचान बनाने व